



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 693 राँची, सोमवार, 28 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-710/2014 का.-5760--श्री संजीव शरण, (कोटि क्रमांक-354/03, गृह जिला पूर्णिया), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 के विरुद्ध चुनाव आयोग के निर्देश एवं राजकीय आदेश का उल्लंघन करने तथा विभागीय अधिसूचना सं0-459, दिनांक 17.12.2004 का अनुपालन नहीं करने, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिग्भ्रमित करने, माननीय उच्च न्यायालय को दिग्भ्रमित करने, विभाग पर आरोप लगाने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-1308, दिनांक 18.05.2005 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय संकल्प सं0-2599, दिनांक 25.05.2006 द्वारा निन्दन, संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि की रोक एवं निन्दन की राजा को उनके वर्ष 2004-05 के चारित्री अभ्युक्ति में दर्ज करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री शरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0- W.P.(S) No. 4475/2008 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2018 को पारित न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है

" This courts finds that the decision making process was vitiated in the absence of service of second show cause notice and copy of the inquiry report upon the petitioner before passing the impugned order of punishment. The impugned order of punishment contained in

Memo No. 2599 dated 25.05.2006 therefore cannot be sustained in the eye of law and is accordingly quashed. Respondents are however at liberty to proceed afresh from the stage of second show-cause notice after serving the same on the petitioner along with a copy of the inquiry report under the same departmental proceeding for arriving at a fresh decision in the matter.

The writ petition is accordingly allowed in the aforesaid terms.

Let it be made clear that the observations made herein-above, shall not be treated as comment upon the merits of the case of the parties. There shall be no order as to the costs."

3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री शरण के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-2599, दिनांक 25.05.2006 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प सं0-3280, दिनांक 17.05.2018 द्वारा निरस्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक-3482, दिनांक 24.05.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री शरण से पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत क्यों नहीं दंडित किया जाय? के संबंध में द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

संबंधित संकल्प की प्रति एवं द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र श्री शरण के आवासीय पता पर प्रेषित की गई, जो वापस लौट आई। तदोपरांत विभागीय पत्रांक-8998, दिनांक 11.12.2018 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा से संबंधित पत्र को उनके पेंशन प्रपत्र में अंकित पतों पर भेजा गया, जो वापस लौट गया।

4. समीक्षोपरांत श्री शरण के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के तहत उनके पेंशन से 20% राशि की कटौती करने संबंधित अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-9124, दिनांक 18.11.2019 के द्वारा श्री शरण से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई तथा उक्त पत्र को विशेष दूत के माध्यम से उनके आवासीय पते पर भेजा गया। विशेष दूत द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री शरण उक्त पते पर नहीं रहते हैं। तदोपरांत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री शरण को द्वितीय कारण पृच्छा हेतु स्मारित किया गया परंतु श्री शरण का जवाब अप्राप्त रहा।

5. मामले के समीक्षोपरांत श्री शरण के पेंशन से 20% राशि की कटौती करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-1767, दिनांक 19.03.2021 द्वारा पेंशन कटौती के दंड के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति की माँग की गयी, जिस पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-984, दिनांक 08.04.2021 द्वारा निम्न बिन्दु पर विभाग से मन्तव्य कि माँग की गयी-

“श्री शरण के विरुद्ध पेंशन से 20% राशि की कटौती किया जाना है, परन्तु उक्त राशि की कटौती कितने अवधि तक किया जाना है, इसका उल्लेख प्रस्ताव में अंकित नहीं है”।

6. झारखंड लोक सेवा आयोग के पृच्छा के आलोक में पेंशन से उक्त कटौती को आजीवन मानने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत श्री शरण के विरुद्ध पेंशन से 20% राशि की कटौती आजीवन किए जाने के बिन्दु पर झारखंड लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-7468, दिनांक 30.11.2022 द्वारा सहमति की माँग की गयी। उक्त के क्रम में झारखंड लोक

सेवा आयोग के पत्रांक-855, दिनांक 23.03.2023 द्वारा श्री शरण के विरुद्ध पेंशन कटौती के अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया।

7. झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा/मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री शरण के विरुद्ध प्रस्तावित उनके पेंशन से आजीवन 20% राशि की कटौती के दण्ड को संशोधित करते हुए उनके पेंशन से 20% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-4851, दिनांक 25.08.2023 एवं पत्रांक-306, दिनांक 12.01.2024 द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग से सहमति की माँग की गयी।

8. झारखंड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2105, दिनांक 14.08.2024 द्वारा श्री शरण के पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने पर सहमति प्रदान की गई।

अतः समीक्षोपरांत, श्री संजीव शरण (सेवानिवृत्त), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत उनके पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
